

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ।

संख्या- 5657 / तेरह-30 / विज्ञप्ति(आ0प्र0) / (2021-22)

दिनांक: रुद्रप्रयाग: अगस्त 21, 2021.

:: विज्ञप्ति ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला आपदा प्रवन्धन अधिकारी, रुद्रप्रयाग की संविदा पर शर्त विस्तारित कार्य अवधि दिनांक 31-08-2021 को समाप्त होने उपरान्त उक्त पद को संविदा/अनुबन्ध पर नियत मासिक मानदेय रू0 46,000/- (रू0 छियालीस हजार मात्र) में पुनः अधिकतम 11 माह के लिए नये चयन से भरा जाना प्रस्तावित है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 05 सितम्बर 2021 सांय 5.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण सहित पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग पिन कोड-246171 के पते पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा अपना आवेदन पत्र स्वयं (By hand) जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग के दैवी आपदा अनुभाग में जमा कर सकते हैं। नियत तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। विज्ञप्ति से सम्बन्धित आवेदन पत्र/शर्तों की जानकारी वेबसाइट Rudraprayag.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। आवेदन की शर्तें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है :-

जिला आपदा प्रवन्धन अधिकारी के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना नाम, स्थाई निवास, पत्र व्यवहार का पता, शैक्षिक योग्यतायें तथा अधिमानी अर्हताओं एवं अनुभव के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण सहित आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर "आपदा प्रवन्धन अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो, को जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पते पर प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्रों की समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा। इस पद की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें निम्नवत् होगी :-

1- आपदा प्रवन्धन अधिकारी के पद पर संविदा पर लिए जाने वाले अभ्यर्थी को शासन के पत्र संख्या- 67/XVIII-(2)/19-3(1)/2010 दिनांक 29 मई 2019 द्वारा नियत मानदेय के रूप में अधिकतम रू0 46,000-00 (रू0 छियालीस हजार मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी।

2- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो अनुबन्ध की अधिकतम 11 माह की अवधि अथवा शासन द्वारा स्थायी आपदा प्रवन्धन अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में अग्रतः दिशा-निर्देश के अधीन होगी। भविष्य में आवेदक द्वारा नियमितकरण किये जाने हेतु न तो कोई माँग की जायेगी तथा न ही ऐसी कोई माँग स्वीकार्य होगी।

3- अनुभव के रूप में जिला आपदा प्रवन्धन अधिकारी के पद पर केवल UNDP सहायतित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना के अर्न्तगत जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके पूर्व जिला परियोजना अधिकारी द्वारा यदि आवेदन किया जाता है तो, संविदा के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी। UNDP सहायतित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना के अर्न्तगत जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

4- आवेदक मान्यता प्राप्त किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष हो, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक योग्यता, चरित्र प्रमाण पत्र अद्यतन (06 माह से कम अवधि का), ड्राइविंग लाईसेन्स एवं अनुभव (UNDP सम्बन्धित प्रमाण पत्र) की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित हो, तथा बायोडाटा संलग्न किये जायेगे। वाञ्छित प्रमाण पत्र पूर्ण पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार हेतु चयनित कर पृथक से सूचित किया जायेगा। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। भविष्य में किसी भी प्रमाण पत्र के गलत/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाने पर आवेदक का पक्ष सुने बगैर उसकी सेवायें समाप्त कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

5- आपदा प्रवन्धन अधिकारी के पद हेतु आवेदक को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कम्प्यूटर की जानकारी हो, तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी के टंकण में दक्ष होना अनिवार्य है।

6- आपदा प्रवन्धन अधिकारी के पद हेतु आवेदक को आपदा न्यूनीकरण में डिग्री/डिप्लोमा धारित होना आवश्यक है।

7- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

- 8- स्थानीय भाषा का ज्ञान, संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली, शासकीय संगठन आदि का समुचित जानकारी होनी आवश्यक है।
- 9- आपदा प्रवन्धन अधिकारी के पद हेतु आवेदक को उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों के भौगोलिक क्षेत्र का अनुभव होने पर वरियता दी जायेगी।
- 10- आपदा प्रवन्धन अधिकारी के पद हेतु आवेदक के पास दो पहिया एवं चौपहिया वाहन चलाने का अनुभव व वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा।
- 11- अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमन्य आयुसीमा में छूट दी जायेगी। जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 12- आवेदक को शारीरिक रूप से स्वस्थ Fit (दिव्यांग न हो, दृष्टि दोष न हो) होना आवश्यक है, नियुक्ति के समय स्वस्थता प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा।
- 13- पात्रता समान रहने पर उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसके लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14- आपदा प्रवन्धन अधिकारी द्वारा तदसम्बन्धित दायित्व तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के संचालन एवं समन्वयन किया जायेगा, संविदागत नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी।
- 15- अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। जिसके लिए किसी अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ह0/-
(मनुज गोयल)

आई.ए.एस.

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

- 1- सचिव, आपदा प्रवन्धन एवं पुर्नवास उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3- जिलाधिकारी चमोली, टिहरी-गढवाल, उत्तरकाशी, पौडी, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, अल्मोडा, पिथौरागढ, नैनीताल, चम्पावत, एवं बागेश्वर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु सादर प्रेषित।
- 4- अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रवन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को सूचनार्थ।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ।
- 6- नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय / पुलिस अधीक्षक कार्यालय / मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय / जिला सेवा योजन अधिकारी कार्यालय जनपद रुद्रप्रयाग।

10
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

आपदा प्रवन्धन अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग के पद हेतु आवेदन पत्र
(विज्ञप्ति संख्या.....दिनांक.....)



- 1- आवेदक/आवेदिका का नाम-.....
- 2- आवेदक/आवेदिका के पिता/पति/का नाम-.....
- 3- आवेदक का स्थायी पता-
- 4- पत्र व्यवहार का पता-.....
- 5- मो0 नम्बर-..... ई-मेल.....
- 6- जन्म तिथि.....आयु दिनांक (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि).....को वर्ष.....माह.....दिन..
- 7- नागरिकता.....लिंग.....आधार कार्ड नम्बर.....

8- शैक्षिक योग्यता-

क्र0सं0	कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	हाई स्कूल				
02	इण्टर मीडिएट				
03	स्नातक				
04	परास्नातक				
05	अन्य शैक्षिक योग्यता				
क-	आपदा न्यूनीकरण में डिग्री/डिप्लोमा				
ख-					
ग-					
06	कार्य अनुभव				
क					
ख					
ग					

संलग्नक- अभिलेखों का विवरण
दिनांक-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर